

## खंड-12

पत्र संख्या श्री।समा० २-१००८।९७ मं०सा०—९०६

बिहार सरकार,  
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग  
(सामान्य शाखा)

**प्रेषण**

बी.एस.एस.एस.सोधरी,  
सरकार के उप-सचिव।

**सेवा प्रभावी**

सभी प्रमंडलों के आयुक्त,

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार,

सभी जिलाधिकारी आरक्षी महानिरीक्षक,

आरक्षी महानिरीक्षक (सभी क्षेत्र),

सभी जिलाधिकारी,

सभी जिलाधिकारी आरक्षी अधिकारी,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12 अगस्त 2000

लिखा—संस्था विवर समारोह, 2000

**महोदय**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार मुझे कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के परिपक्व संख्या 2195, दिनांक 2 अगस्त 1991 (प्रतिलिपि संलग्न) में आंशिक संशोधन करते हुए परिपक्व की कंडिका 7 को निम्न प्रकार संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जाता है :—

7. (क) पटना तथा रांची को छोड़कर अन्य अनुमंडलों जिला मुख्यालयों में अगर कोई मंत्री अधिकारी राज्य मंत्री अण्डोतोलन कराना चाहे तो उन्हें इसकी सुविधा दी जाय।

(ख) अगर किसी जिला में एक से अधिक मंत्री हों और एक से अधिक मंत्री अण्डोतोलन की इच्छा जाहिर करें तो जिन ही मंत्री के रूप में कार्यविधि सबसे अधिक हो उन ही अण्डोतोलन की इच्छा जाहिर करें तो जिन ही मंत्री के रूप में कार्यविधि सबसे अधिक हो उन ही अण्डोतोलन करने की सुविधा दी जाय। अगर किसी जिला में एक से अधिक मंत्री हों और एक से अधिक मंत्री ने अण्डोतोलन की इच्छा जाहिर करें तो और अण्डोतोलन की इच्छा जाहिर करने वाले की कार्यविधि समान हो तो मंत्री की नियुक्ति सबसे अधिसूचना में क्रम में पहले प्राने वाले मंत्री को अण्डोतोलन करने की सुविधा दी जायेगी।

(ग) अगर किसी जिला में कोई मंत्री नहीं हों और केवल राज्यमंत्री हों अथवा मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अण्डोतोलन की इच्छा प्रकट नहीं की हो तो इच्छा प्रकट करने वाले राज्य मंत्री को अण्डोतोलन करने की सुविधा दी जायेगी। अगर एक जिला में एक से अधिक राज्य मंत्री में अण्डोतोलन की इच्छा जाहिर की हो तो जिनकी राज्य मंत्री के रूप में कार्यविधि सबसे अधिक होगी, उन्हें अण्डोतोलन की सुविधा दी जायेगी।

2. उक्त निर्णय स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस समारोह काले होगा।
3. उक्त परिषद के शेष अनुदेश यथावत रहेगा।
4. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

विष्वामित्रजन,  
चन्द्रपेत्र चौधरी,  
सरकार के उप-मंत्री।

शाप सं. 906,

पटना, दिनांक 12 अगस्त 2000 ई०  
प्रतिलिपि/क्रिगेडियर प्रभारी, बिहार एण्ड उडीसा सब-एरिया, दानापुर बैंकास्टेशन कमाण्डर द्वारा द्वारा  
रामगढ़ को सूचनार्थ अप्रसारित।

2. कृपया प्राप्ति सूचना इस विभाग को दें।

चन्द्रपेत्र चौधरी,  
सरकार के उप-मंत्री।

शाप सं. 906,

प्रतिलिपि राज्यपाल के सचिवामुख्यमंत्री के प्रधान सचिवासभापति, बिहार विधान परिषद के आप्त सचिवा।  
प्रधान सचिवामुख्य सचिव के सचिवासभी विभागासभी विभागाध्यक्ष। प्रधान सचिवासभा पटना। महानिदेशक, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंबाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, आकाशवाणी, पटना। दूरदर्शन, पटना। महानिदेशक, सूचना एवं जन-संपर्क से अनुरोध है कि इस समारोह के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार कृपया करें।

3. मानव संसाधन विकास विभाग से अनुरोध है कि सभी विश्वविद्यालय। कालेजों। स्कूलों को आवश्यक अनुदेश दें कि उनके यहां विशेष समारोह की व्यवस्था की जाय, जिसमें 'जनगणना' का सामूहिक राष्ट्रीय गान भी सम्मिलित हो।

4. उत्पाद आयुक्त से अनुरोध है कि पत्र का कंडिया 9 के संबंध में आवश्यक आदेश जारी करें।

चन्द्रपेत्र चौधरी,  
सरकार के उप-सचिव।